कार्यालय–प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरदोई।

पत्रांकः– भण्डार/निष्प्रयोज्य/साज–सज्जा/2016–17/1204 दिनांकः– 29 जुलाई 2016

:: नीलामी सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि इस संस्थान में अनुपयोगी साज–सज्जा/फर्नीचर/स्कैप आदि जहॉ है, जिस स्थिति में है, की सार्वजनिक नीलामी संस्थान प्रांगण में दिनांक–16.08.2016 को अपराहन–12:00 बजे निर्धारित शर्तों के आधीन की जायेगी इच्छुक केता उक्त तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस मे हरदोई संस्थान में स्वयं के व्यय पर पधारकर सामान देख सकते है, तथा शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी सम्बन्धी समस्त कार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के प्रांगण में सम्पन्न होंगे।

निष्प्रयोज्य सामानों का विवरण	स्थान	निर्धारित धरोहर धनराशि
मशीनों/उपकरणों/फर्नीचर/हैन्डटूल/वाहन व अन्य स्कैप	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरदोई	80000.00

शर्तें निम्नवत् है।

01. नीलामी में भाग लेने को इच्छुक फर्मों द्वारा निर्धारित धरोहर राशि दिनांक 01.08.2016 से 16.08.2016 को प्रातः 11:00 बजे से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में संस्थान के कैशियर के पास नगद जमा करना अनिवार्य है।
02. नीलामी की वस्तुओं की बोली लगानें से पूर्व केता को शासकीय बोली का 10 प्रतिशत धरोहर राशि संस्थान के कैशियर के पास नगद जमा करना होगा। धनराशि जमा करानें के पश्यात ही केता नीलामी प्रकिया में भाग ले सकेगा।
03. उच्चतम नीलामी बोली पूर्ण होने के पश्चात कुल नीलामी का 1/4 भाग (25 प्रतिशत) धनराशि संस्थान के कैशियर के पास तत्काल जमा करना होगा न जमा करने की स्थिति में 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
04. उच्चतम नीलामी बोली का 3/4 भाग (75 प्रतिशत) धनराशि + बिकीकर नीलामी प्रकिया का निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त होने के दस दिन भीतर संस्थान में नगद जमा करना होगा।
05. निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 10 दिन भीतर 75 प्रतिशत धनराशि + बिकी कर न जमा करने की स्थिति में पूर्व में जमा 25 प्रतिशत जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
06. नीलामी की वस्तुओं को विलम्बतम 10 दिन के भीतर संस्थान के भण्डार में स्वयं के व्यय पर उठाना होगा, 10 दिन के भीतर न उठाने की दशा में निर्धारित दर से भण्डार के कक्षो का किराया वसूला जायेगा।
07. केता(विडर) को अपना पैन कार्ड मूल रूप में एवं उसकी छायाप्रति साथ लाना होगा।
08. केता (विडर) को अपने सेलटैक्स के टिन नम्बर का प्रपत्र तथा उसकी छाया प्रति भी दिखानी होगी।
09. कुल नीलामी बोली के अतिरिक्त नियमानुसार बिकी कर अलग से वसूला जायेगा।
10. समस्त नीलामी प्रकिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी को निहित होगा। उक्त के सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नही किया जाएगा।
11. समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र हरदोई होगा।

प्रधानाचार्य
रा0औ0प्रशि0संस्थान
हरदोई